

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ़ेशर / 2021/ 215

दिनांक: 08 सितम्बर, 2021

प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- संशोधित तिथि अनुसार ऑनलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत  
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020  
विभाग के पत्रांक 201 दिनांक 26.08.2021


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क. स.	नम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	संशोधित कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	कर्मवीर सिंह	विधि	राज.विधि महा. श्रीगंगानगर	रिफ़ेशर	08.09.2021 से 22.09.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2	रेखा	विधि	राज.विधि महा. श्रीगंगानगर	रिफ़ेशर	08.09.2021 से 22.09.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
3	विजय गठाला	विधि	राज.पी.जी.विधि. महा.सीकर	रिफ़ेशर	08.09.2021 से 22.09.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4	गजेन्द्र सिंह	विधि	राज.पी.जी.विधि. महा.सीकर	रिफ़ेशर	08.09.2021 से 22.09.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बैवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)